मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल

क्र./F 9-10/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक, 10-10-16

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव

मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

विषयः—पूर्वानुमानित (Anticipatory Pension) तथा अंतरिम पेंशन (Provisional Pension) का भुगतान के संबंध में।

——00——

सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्त स्वत्वों के भुगतान में विलम्ब के प्रकरण अभी भी संज्ञान में आ रहे हैं। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक परिपेक्ष्य में उपयुक्त हैं, अपितु शासन के कल्याणकारी उद्देश्यों को भी असफल करती हैं।

2/ राज्य शासन का यह सदैव प्रयास रहा हैं कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्त स्वत्वों का सामयिक भुगतान सुनिश्चित हो। इस संबंध में म.प्र.सिविल सेवायें (पेंशन) नियम—1976 के नियम 74 की ओर ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता हैं, जिसके अनुसार पेंशन देय होने की तिथि के 15 दिवस पूर्व पेंशन आदेश प्राप्त नहीं होने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा ऐसे सभी प्रकरणों में पेंशन देय होने वाले माह की पहली तारीख से पूर्वानुमानित पेंशन स्वीकृत कर उसका संवितरण किया जाना तथा पेंशन नियम 64 के अंतर्गत विभागीय जांच/ लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/न्यायालयीन प्रकरण संबंधी कार्यवाही लंबित होने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अंतरिम पेंशन स्वीकृत की जानी चाहिए । वर्णित नियम की टिप्पणी में यह भी उल्लेखित हैं, कि अंतरिम पेंशन की मन्जूरी आज्ञापक (Mandatory) हैं, भले ही विभागीय जांच या न्यायालयीन कार्यवाहियां चालू हों। इन सुस्पष्ट नियमों के उपरांत भी पूर्वानुमानित/ अंतरिम पेंशन का भुगतान नियमानुसार नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

3/ अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों को उपरोक्त नियमों /प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को पूर्वानुमानित/अंतरिम पेंशन का नियमानुसार भुगतान किये जाने के लिए आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरूद्ध मुखर्जी)
सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

..2..

F 9-10/16

पृ.क्र. / 2016 / इ4 / चार भोपाल, दिनांक, 10/10/2016

प्रतिलिपिः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
2. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. समस्त कलेक्टर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग